

तारीख  
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

20/8  
2019

प्रतापली आज दिनांक 16.9.2019 को प्रस्तुत  
प्रमाणों पर विचार करके निम्न आदेश  
दिया गया है।

सहायक कलेक्टर  
एच उष खण्ड अधिकारी  
बिलाडा

निर्णयः

16/9  
2019

प्रतापली आज प्रस्तुत हुई  
प्रमाणों पर विचार करके निम्न आदेश  
दिया गया है।

प्रतापली का ध्यान पूर्वक  
अध्ययन एवं अवलोकन  
किया गया एवं प्रमाणों द्वारा  
की गयी है।

प्रतापली प्रथम दुर्घटना मय  
प्रतापली के दिने होने, सुविधा  
का संतुलन प्रतापली के दिने  
होने, एवं अपूर्णता दिने प्रतापली  
को होने साबित करने में  
असमर्थ रहने इसलिये प्रतापली  
का प्रमाण प्रत स्वीकार  
नहीं किया जाता है।  
अतः प्रतापली का प्रमाण  
प्रत अन्तर्गत धारा 212  
प्रमाणों द्वारा प्रतापली अधिनियम  
1955 के अन्तर्गत स्वीकार  
नहीं किया जाता है।

सहायक कलेक्टर  
एच उष खण्ड अधिकारी  
बिलाडा

FORM NO. III

AAP-A  
Crim-I

फर्द अहकाम

(नियम 26)

मुकाम

बनाम

नं.

सन्

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुकम की तामील  
में जारी हुए

हुकम से स्वीकार किया जाता  
है।

प्रतापली के दिने शुभ्रा  
व जबल से कम है। प्रमाणों  
द्वारा प्रमाणित किया गया है।  
प्रमाणों द्वारा प्रमाणित किया गया है।  
प्रमाणों द्वारा प्रमाणित किया गया है।

निर्णय से प्रमाणित किया  
गया।

सहायक कलेक्टर  
(उष खण्ड अधिकारी)

सहायक कलेक्टर  
एच उष खण्ड अधिकारी  
बिलाडा